**Encouragement to Indian Languages**

**2416. Shri Madhu Limaye:**
**Dr. Ram Manohar Lohia:**
**Shri Kolla Venkaiah:**
**Shri Sidheshwar Prasad:**
**Shri Rishang Keishing:**
**Shri Bhagwat Jha Azad:**
**Shri M. L. Dwivedi:**
**Shri Subodh Hansda:**
**Shri S. C. Samanta:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a Constitution (Amendment) Bill providing for the use of all the languages listed in the Eighth Schedule as Union languages and for the abolition of the use of English in all Ministries/Departments of Government of India forthwith; and

(b) if so, when?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No Sir.

(b) Does not arise.

**डिफू में एक विदेशी व्यक्ति की गिरफ्तारी**

2417. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में डिफू में एक विदेशी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं था ;

(ग) क्या उसके पास से कुछ अवैध सामग्री भी बरामद की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) उसके पास एक वैध राष्ट्रीय पारपत्र था किन्तु उसके पास विदेशी (सीमित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन आवश्यक अनुज्ञापत्र नहीं था । इस अपराध के लिये विदेशी अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत एक मामला पंजीकृत किया गया है । तब तक उसे जेल में रखा गया है ।

(ग) उसके पास कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों का कारखाना**

2418. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फतेहगढ़ जिले के लखनपुर गांव में एक अवैध हथियारो का कारखाना पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) किस प्रकार के अवैध रूप से बनाये गये हथियार बरामद किये गये हैं ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में उपगृह मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां ।

(ख) एक ।

(ग) एक 12 बोर की बन्दूक ।

(घ) अभियुक्त पर शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिय गया ।